

मराल ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: LI7124MP1989PLC008255

पंजीकृत कार्यालय: मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुजुंग, तहसील कसरवादा, जिला खरगोन-451660 (म.प्र.); फोन: +91-7285-265401] 265405, फैक्स: +91-7285-265406

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.), फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: maral.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: <https://www.maraloverseas.com>

34वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

18 अगस्त, 2023 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मराल ओवरसीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 34वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय मराल सरोवर, वी. व पी.ओ. खलबुजुंग, तहसील कसरवादा, जिला खरगोन - 451660, मध्य प्रदेश माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 (के साथ पठित परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 एवं परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022) तथा परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के अनुपालन में और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों दिनांकित 5 जनवरी 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) (सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी" / ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 34वीं एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 34वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 25 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। सदस्यों को 34वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है। 34वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.maraloverseas.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44, सामान्य बैठकों पर आईसीएसआई का सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड-2 तथा एजीएम की सूचना के नोट संख्या 2 में संदर्भित लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 34वीं एजीएम में संपादित होने वाले व्यवसाय(ओं) के सम्बन्ध में एनएसडीएल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग / के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमेंटेरियालाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेर्य प्रतिरक्षित रखने वाले शेर्यधारक तथा ऐसे शेर्यधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली 34वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर्य अंतरण पुस्तकें बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 से बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 34वीं वार्षिक आम बैठक हेतु बंद रहेंगे।

बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डिमेंटेरियालाइज्ड रूप में शेर्य प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 17 सितम्बर, 2023 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इसके पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 को कम्पनी की प्रदत्त समता शेर्य पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट संख्या / फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 34वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 34वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागीओं के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेर्य धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेर्य ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: मराल ओवरसीज लिमिटेड) एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: क) फोलियो नंबर, ख) शेर्यधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेर्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), एवं छ) संपर्क विवरण इत्यादि बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लामांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेर्यधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट शेर्य धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

श्री प्रणव कुमार, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 5013 एवं सीओपी संख्या 3429) या उनके विफल होने पर सुश्री अर्पिता सक्सेना, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एसीएस 23822 एवं सीओपी संख्या 11962) जो मैसर्स प्रणव कुमार एसोसिएट्स, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव में सहायक हैं, को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं एजीएम के दौरान वोटिंग के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट www.maraloverseas.com पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2023 को पारित माना जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेर्यधारकों हेतु 'फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं शेर्यधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 एवं 022-24997000 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते मराल ओवरसीज लिमिटेड

हस्ता / -

विरेंद्र कुमार गर्ग

कम्पनी सचिव

एफसीएस - 7321

स्थान: नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक: 25 अगस्त, 2023